



# रोहिणी एनकेएव आवासीय योजना

## महत्वपूर्ण तिथियाँ

|                               |   |            |
|-------------------------------|---|------------|
| योजना का शुभारम्भ             | > | 28.02.2014 |
| फार्म जमा कराने की अंतिम तिथि | > | 03.04.2014 |



जयपुर विकास प्राधिकरण

जहाँ नगर नियोजन एक परम्परा है



सत्यमेव जयते

मुख्यमंत्री  
राजस्थान सरकार

## सन्देश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि जयपुर विकास प्राधिकरण, तहसील फागी में “रोहिणी एनक्लेव आवासीय योजना” का शुभारम्भ कर रहा है।

आशा है, कि तहसील फागी के ग्राम मानपुरगेट, श्रीराजपुरा, सीतारामपुरा व पहाड़िया में विकसित की जा रही इस सुविधा युक्त आवासीय योजना का लाभ अधिकाधिक लोगों को मिल सकेगा।

विभिन्न आवासीय योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार यह प्रयास कर रही है कि आम लोगों को आवास सुविधा का लाभ आसानी से मिल सके। इन योजनाओं में आम जनता की रुचि को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि ये लोगों की सुविधा की दृष्टि से उपयोगी है। आज के युग में निजी क्षेत्र में आवास योजनाओं की बहुतायत से प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है इसके मद्देनजर सरकारी क्षेत्र की आवासीय योजनाओं में गुणवत्ता का ध्यान रखना आवश्यक है।

मैं “रोहिणी एनक्लेव आवासीय योजना” के शुभारम्भ पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ।

(वसुन्धरा राजे)



सत्यमेव जयते

## सन्देश

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार की नई आवासीय नीति के अनुरूप तहसील फागी के ग्राम मानपुरगेट, श्रीराजपुरा, सीतारामपुरा व पहाड़िया में “रोहिणी एनक्लेव आवासीय योजना” का शुभारम्भ किया जा रहा है। यह योजना वाजिब मूल्यों पर अधिकाधिक लोगों को आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराने की सरकार की मंशा के अनुरूप है।

इस योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए कम कीमत पर आवासीय भूखण्ड मुहैया हो सकेंगे, जो कि प्रसन्नता का विषय है।

मैं प्रदेशवासियों को जयपुर विकास प्राधिकरण की “रोहिणी एनक्लेव आवासीय योजना” के शुभारम्भ पर हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

(डी.बी.गुप्ता)

प्रमुख शासन सचिव

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग,

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

## सन्देश

मुझे यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तहसील फागी के ग्राम मानपुरगेट, श्रीराजपुरा, सीतारामपुरा व पहाड़िया में **“रोहिणी एनक्लेव आवासीय योजना”** का शुभारम्भ किया जा रहा है।

बढ़ती जनसंख्या एवं जनआवश्यकताओं के बीच आम आदमी के लिए घर का सपना सच करने के अनुष्ठान में **“रोहिणी एनक्लेव आवासीय योजना”** एक ओर नया प्रयास है। आम आदमी की घर की जरूरत को पूरा करने के लिए जेडीए की आवासीय योजनाओं में वाजिब दामों पर भूखण्ड उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। योजना में सभी वर्ग के आवेदकों को रहने के लिए एक आदर्श और शांतिपूर्ण वातावरण मिलेगा।

राज्य सरकार की आवासीय नीति के अनुरूप इस योजना में निम्न वर्ग और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए कम कीमत पर स्वतंत्र आवासीय भूखण्डों का प्रावधान भी किया गया है।

मैं **“रोहिणी एनक्लेव आवासीय योजना”** के शुभारम्भ के अवसर पर अपनी शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

(शिखर अग्रवाल)

आयुक्त

जयपुर विकास प्राधिकरण



## “रोहिणी एनक्लेव” आवासीय योजना

ग्राम मानपुरगेट, श्रीराजपुरा, सीतारामपुरा व पहाड़िया, तहसील फागी, जयपुर

### 1. प्रस्तावना :-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में सृजित आवासीय योजनाओं की श्रृंखला में जयपुर के निवासियों के लिए सृजित विभिन्न आवासीय योजनाओं के प्रति आमजन के उत्साह/मांग को दृष्टिगत रखते हुए सभी वर्गों के लिए नियोजित विकसित आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराने हेतु ग्राम मानपुरगेट, श्रीराजपुरा, सीतारामपुरा व पहाड़िया स्थित “रोहिणी एनक्लेव आवासीय योजना” का शुभारम्भ किया जा रहा है। यह योजना जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना रोहिणी नगर-III एवं नवसृजित रोहिणी ग्रीन्स फार्म हाउस के पास सृजित की जा रही है। इस योजना में निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध रहेगी।

- पार्क
- फुटकर दुकाने
- सुविधाएँ— विद्यालय, चिकित्सालय एवं सामुदायिक केन्द्र इत्यादि के लिए स्थान
- 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल सड़क, पार्क व सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित

|                          |          |        |         |
|--------------------------|----------|--------|---------|
| साईज<br>(मीटर में)       | (4.5X10) | (9X15) | (12X21) |
| क्षेत्रफल<br>(व.मी. में) | 45.00    | 135.00 | 252.00  |
| संख्या                   | 1240     | 373    | 684     |

### 3. आरक्षित दर

योजना की आरक्षित दर रूपये 7000 /- प्रति वर्गमीटर।

### 4. आवंटन हेतु पात्रता

- (अ) राजस्थान का मूल निवासी।
- (ब) आवेदक की आयु 18 वर्ष या अधिक।

- (स) आवेदक स्वयं एवं उसकी/उसके पत्नि/पति अथवा किसी आश्रित के पास राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र (50,000 से अधिक आबादी) में कोई आवासीय भूखण्ड/मकान (लीजहोल्ड/फ्री होल्ड पर) नहीं होना चाहिए।
- (द) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गत 10 वर्ष में कोई मकान/भूखण्ड रियायती दर पर आवंटित नहीं हुआ हो।

#### 5. आवेदक का वर्ग एवं आय:—

भूखण्डों का क्षेत्रफल एवं कीमत आवेदक की प्रमाणित मासिक सकल आय (पति, पत्नि एवं आश्रितों की कुल आय) वित्तीय वर्ष 2013–2014 के आधार पर निर्भर है। आवेदकों के आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की कुल वार्षिक आय के आधार पर की जावेगी। कुल आय में निम्नलिखित स्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगी:—

#### (क) स्वयं के लिए

- (1) वेतन, विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता एवं देय अन्य भत्ते।
  - (2) गृह/सम्पत्ति/व्यापार से आय।
  - (3) विनियोग से ब्याज।
  - (4) कोई अन्य आय जो आयकर के प्रयोजन हेतु आय के रूप में सम्मिलित करने योग्य हो।
- (ख) उपर्युक्त (क) 1 से 4 तक के सम्बन्ध में पति/पत्नि की आय।
- (ग) उपर्युक्त (क) 1 से 4 तक के सम्बन्ध में आश्रितों की आय।

मासिक आय (पति, पत्नि एवं आश्रितों की आय) के आधार पर भूखण्ड की पात्रता हेतु देय कीमत नीचे तालिका में दर्शाई गई है। निर्धारित प्रपत्र में ही संलग्न पुस्तिका के अनुसार आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे, आयकर दाता को आयकर विवरणिका/फार्म 16 प्रस्तुत किया जायेगा। वेतन स्लिप एवं अन्य प्रपत्र मान्य नहीं होंगे, ऐसे आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जावेंगे।

#### तालिका

| आवेदक का वर्ग | सकल आय सीमा<br>(प्रतिमाह रुपये में) | भूखण्ड का<br>क्षेत्रफल<br>(वर्गमीटर) | भूखण्डों<br>की संख्या | भूखण्ड की दर<br>(रुपये प्रति व.मी.) | आवेदन पत्र के<br>साथ पंजीकरण हेतु<br>देय राशि (रु.) |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|
| (A)           | 10000/- तक                          | 45                                   | 1240                  | 1750/-                              | 10000/-   |
| (B)           | 15001/- से 30000/- तक               | 135                                  | 373                   | 7000/-                              | 20000/-   |
| (C)           | 30001/- से 45000/- तक               | 252                                  | 684                   | 8050/-                              | 25000/-   |

- नोट:-** 1. 45,000 / – रुपये से अधिक मासिक आय वाले आवेदक इस योजना में आवासीय भूखण्डों के लिए पात्र नहीं होंगे।
2. आवंटन के लिए उपलब्ध भूखण्डों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।
3. एक आवेदक उपरोक्त एक ही वर्ग (आय वर्ग के अनुसार) के भूखण्ड हेतु आवेदन कर सकता है। एक से अधिक आवेदन करने पर समस्त आवेदन फार्म निरस्त कर दिये जावेंगे।
4. योजना में कॉर्नर के भूखण्ड लॉटरी में सम्मिलित नहीं किए जावेंगे।

#### 6. भूखण्डों का आरक्षण :

विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए भूखण्ड आरक्षण की प्रतिशतता तालिका नीचे दी गयी है। जो व्यक्ति जिस श्रेणी के अन्तर्गत भूखण्ड हेतु आवेदन करेंगे, उन्हें श्रेणी के लिए लॉटरी में सम्मिलित किया जावेगा। किसी अन्य श्रेणी में आवंटन हेतु कोई दावा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

#### आरक्षित भूखण्ड

| राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारी | अनु-जनजाति | अनु-जाति | विकलांग | अधिस्वीकृत पत्रकार | सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है) | सामान्य श्रेणी |
|--|------------|----------|---------|--------------------|---|----------------|
| 1  | 2          | 3        | 4       | 5                  | 6   | 7              |
| 18%  | 6%         | 9%       | 2%      | 2%                 | 10%   | 53%            |

#### स्पष्टीकरण :

- जो व्यक्ति राजस्थान सरकार / राजस्थान स्थित विश्वविद्यालय / राज्य के स्थानीय निकायों व राजस्थान सरकार के उपक्रमों के अधीनस्थ कार्यरत हैं तथा राजस्थान के मूल निवासी है उन्हीं को राज्य कर्मचारी के वर्ग में माना जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को अपने नियोजक / विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। केन्द्रीय सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए आरक्षित भूखण्डों के लिये आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।
- अनु. जाति / अनु. जनजाति के सदस्य वह व्यक्ति है, जो राजस्थान की जनगणना में अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है। ऐसे व्यक्तियों को राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- विकलांग व्यक्ति वे हैं, जो शारीरिक अयोग्यता के कारण विकलांग हो चुके हैं, तथा राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित है।
- अधिस्वीकृत पत्रकार वे हैं, जिन्हें राजस्थान सरकार / भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकार की मान्यता दी गई हो।
- सैनिक का अर्थ थल, जल, वायुसेना, बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. एवं सी.आई.एस.एफ. में कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी / अधिकारी एवं उनके परिवार में पति, पत्नि / पुत्र व उस पर आश्रितों से है।

- (i) आवेदक जिस सैनिक के परिवार के सदस्य होने का कथन करता है उस परिवार से केवल मात्र एक आवेदक ही आवेदन कर सकता है।
- (ii) सैनिक कोटे में आरक्षित भूखण्डों हेतु सैनिक स्वयं आवेदक होने की स्थिति में उसके परिवार का कोई सदस्य उक्त आरक्षित कोटे हेतु आवेदन का पात्र नहीं होगा। परिवार के किसी सदस्य द्वारा केवल उसी स्थिति में आरक्षित कोटे (सैनिक) से आवेदन किया जा सकता है, जब स्वयं सैनिक द्वारा आवेदन नहीं किया गया हो।
- (iii) सैनिक को पूर्व में किसी यू.आई.टी./जविप्रा की किसी आवासीय योजना में आरक्षित कोटे से कोई भूखण्ड आवंटन होने की स्थिति में वह/परिवार का सदस्य भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- (iv) मृतक सैनिक के परिवार से केवल परिवार का एक ही सदस्य आरक्षित कोटे हेतु आवेदन कर सकता है। एक से अधिक सदस्यों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे।
- (v) सैनिक कोटे में आरक्षित भूखण्ड हेतु आवेदक को पुस्तिका में संलग्न निर्धारित प्रारूप में 10/-रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रमाणित अतिरिक्त शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- (vi) सैनिक कोटे में आरक्षित भूखण्डों हेतु सैनिक के जीवित रहते हुये उसके स्थान पर परिवार के किसी सदस्य द्वारा भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन करने पर, पुस्तिका में संलग्न निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित सैनिक का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

सैनिक श्रेणी (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।) के लिये आरक्षित भूखण्डों का आवंटन उनके मध्य निम्नांकित प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा। इसके लिये सम्बन्धित श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।

- (i) उन सैनिकों की विधवायें एवं आश्रित जिनकी मृत्यु देश की सीमा की रक्षा करते हुये हुई हो। (बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. एवं सी.आई.एस.एफ. के उन कार्मिकों की विधवाएं एवं आश्रित जिनकी मृत्यु ड्यूटी निष्पादन के दौरान हुई हो।)
- (ii) विकलांग सैनिक ( बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. एवं सी.आई.एस.एफ. के कार्मिकों सहित)
- (iii) अन्य सैनिक ( बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. एवं सी.आई.एस.एफ. के कार्मिकों सहित)

**नोट :** किसी भी आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं होने पर उस वर्ग के शेष भूखण्डों का आवंटन सामान्य श्रेणी के उसी आय वर्ग के आवेदकों को किया जायेगा।

## 7. आवेदन फार्म के साथ देय पंजीकरण राशि :-

- (i) सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, "रोहिणी एनक्लेव" आवासीय योजना जयपुर के नाम से पूर्ण पंजीकरण राशि का केवल एक बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक (जो जयपुर में देय) मय चालान के आवेदन फार्म के साथ जमा करानी है।

- (ii) बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट के पीछे आवेदक का नाम, आवेदन फार्म संख्या एवं आवेदक की श्रेणी आवश्यक रूप से अंकित करे।
- (iii) तालिका के अनुसार देय पंजीकरण राशि से कम राशि जमा होने की स्थिति में आवेदन फार्म निरस्त कर दिया जावेगा।
- (iv) आवेदनकर्ता की मासिक आय आवेदित वर्ग से अधिक अथवा कम होने की स्थिति में आवेदन फार्म निरस्त कर दिया जावेगा।
- (v) यह पंजीकरण राशि जिन आवेदकों के नाम पर लॉटरी द्वारा भूखण्ड नहीं निकलेगा, उन आवेदकों को सम्बन्धित बैंक द्वारा राशि वापस लौटा दी जावेगी।
- (vi) रिफण्ड प्राप्त नहीं होने की स्थिति में जिस बैंक में आवेदन फार्म जमा कराया गया है उसी बैंक की नोडल बैंक शाखा से सम्पर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते है।

#### 8. कीमत भुगतान प्रक्रिया :

पंजीयन राशि को समायोजित करने के पश्चात् शेष बकाया राशि आवंटन-मांग पत्र जोन-14 कार्यालय से जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में नकद/बैंक ड्राफ्ट द्वारा सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम से एक मुश्त राशि जमा करानी होगी।

**नोट:—** 1. निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं होने की स्थिति में आगामी 60 दिवस तक 15 प्रतिशत ब्याज सहित राशि जमा कराई जा सकती है, किन्तु ब्याज आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से देय होगा।

2. आवंटन-मांग पत्र जारी होने की तिथि से 90 दिवस में नजराना राशि जमा न होने की स्थिति में भूखण्ड का आवंटन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

#### 9. भूखण्ड की कीमत के अलावा अन्य जमा कराने योग्य राशि :

(i) आवंटी को निर्धारित दर से वार्षिक शहरी जमाबन्दी (अरबन असेसमेंट) अगले वित्तीय वर्ष के लिए, अग्रिम रूप से प्रतिवर्ष 31 मार्च तक जमा करानी होगी। शहरी जमाबन्दी वर्तमान आरक्षित दर की सवा प्रतिशत प्रथम पाँच वर्ष के लिए एवं इसके बाद ढाई प्रतिशत प्रतिवर्ष देय है। यह राशि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से पूर्व जमा नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार ब्याज/शास्ति देय होगी। प्रथम वर्ष की शहरी जमाबन्दी की राशि अग्रिम जमा करानी होगी। इस राशि के प्रतिवर्ष भुगतान से मुक्त होने के लिये ढाई प्रतिशत की दर से 8 वर्ष की एक मुश्त रकम अग्रिम जमा करानी होगी।

(ii) राज्य सरकार या स्थानीय निकाय समय-समय पर जो भी कर/किराया आदि तय करती हैं वह आवंटी पर भी लागू होगा। आवंटी पर राज्य सरकार एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर प्रसारित नियम/आदेश भी लागू होंगे।

(iii) स्थल मानचित्र के 100/- रुपये भूखण्ड की कीमत के साथ जमा कराने होंगे।

## 10. जमा पंजीकरण राशि पर देय ब्याज :

1. सफल आवेदकों की जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा किन्तु किसी कारण भूखण्ड उपलब्ध न कराने पर लॉटरी दिनांक से 6 माह पश्चात राशि वापसी की दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।
2. असफल आवेदकों को लाटरी दिनांक से 6 माह तक कोई ब्याज देय नहीं होगा।

## 11. अन्य महत्वपूर्ण शर्तें :

- (i) नियम विरुद्ध एवं गलत सूचना देने पर आवेदन फार्म/आवंटन निरस्त किया जाकर भूखण्ड की जमा करायी गई पंजीकरण राशि जब्त कर ली जावेगी तथा उन्हें भविष्य में आवासीय भूखण्ड के लिए आवेदन करने हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा, इसके साथ ही ऐसे आवेदनकर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
- (ii) प्राधिकरण में जमा पंजीकरण राशि का रिफण्ड लॉटरी तिथि से पूर्व, लॉटरी निकलने के बाद तथा मांग पत्र जारी होने से पूर्व तक रिफण्ड चाहने पर पंजीकरण राशि की 5 प्रतिशत राशि काटी जाकर रिफण्ड की जावेगी। मांग पत्र जारी होने के बाद रिफण्ड चाहने पर जमा पंजीकरण राशि का 10 प्रतिशत राशि की कटौती करते हुए रिफण्ड की जावेगी। 3 महीने की अवधि में जो समान योजनाएं लान्च की जाती है, उनमें दोहरे आवंटन होने पर प्रार्थी को देय एक रिफण्ड में से कोई कटौती नहीं की जावेगी। गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर सम्पूर्ण पंजीकरण राशि जब्त करते हुये शेष राशि लौटाई जावेगी।
- (iii) भूखण्ड 99 वर्ष की लीज पर आवंटित किए जावेंगे।
- (iv) सामान्यतः आवंटी, आवंटित भूखण्ड का 10 वर्ष की अवधि तक विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं कर सकता है किन्तु यदि कोई व्यक्ति भूखण्ड को 10 वर्ष से पूर्व विक्रय करना चाहता है तो ऐसे विक्रय के लिए उससे योजना की प्रचलित आरक्षित दर की 5 प्रतिशत की दर से शुल्क वसूल कर नियमानुसार किए गए पंजीकृत विक्रय पत्र अथवा हस्तांतरण दस्तावेज के आधार पर हस्तान्तरण की अनुमति दे दी जायेगी।
- (v) आवंटी को लीज डीड पंजीयन का खर्च स्वयं को वहन करना होगा तथा उसके पश्चात ही भूखण्ड का भौतिक कब्जा दिया जायेगा।
- (vi) आवेदक द्वारा गलत तथ्य (आय वर्ग, आरक्षित वर्ग, कम पंजीकरण राशि, अन्य सूचना आदि) भरने पर लॉटरी में भूखण्ड निकलने के बावजूद भी आवंटित भूखण्ड निरस्त कर पंजीकरण राशि जब्त कर ली जायेगी।
- (vii) भूखण्ड आवंटी को, भूखण्ड आवंटन के पांच साल की अवधि में भवन निर्माण पूर्ण कराना होगा। अगर आवंटी द्वारा नियत समयवधि में मकान का निर्माण नहीं कराया गया तो भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जावेगा तथा आवंटी भविष्य में भूखण्ड आवंटन का पात्र नहीं होगा। इसके साथ ही उसके द्वारा जमा कराई गई राशि भी जब्त समझी जावेगी।

- (viii) आवंटन में प्राप्त भूखण्ड केवल आवासीय उपयोग में लिया जा सकेगा, अन्य किसी प्रयोजन में नहीं। आवंटन किए गए भूखण्ड को पुनः विभाजित अथवा एकाधिक भूखण्ड को मिलाकर एक बड़ा भूखण्ड नहीं बनाया जा सकेगा।
- (ix) प्राधिकरण बिना सूचना दिए भूखण्ड के आवंटन की शर्त बदलने का हक रखता है।
- (x) किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के सम्बन्ध में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर ही होगा।
- (xi) इस योजना में भूखण्डों की खरीद हेतु बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से ऋण सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
- (xii) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त जविप्रा का निर्णय अन्तिम होगा।
- (xiii) नजराना राशि विलम्ब से जमा कराये जाने पर विलम्ब अवधि के व्याज की राशि 1 माह में अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी, अन्यथा भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।
- (xiv) योजना की लॉटरी की ड्रॉ दिनांक से 1 माह की अवधि में बिना जविप्रा के पत्राचार की प्रतीक्षा में अनिवार्य रूप से आवंटन पात्रता के दस्तावेज एवं आय के साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।

## 12. आवेदन फार्म प्राप्त करने की विधि

आवेदन फार्म इस पुस्तिका के साथ दिया हुआ है और यह पुस्तिका योजना के लिए अधिकृत बैंकों की निम्नांकित शाखाओं से 200 / – रुपये नकद जमा कराकर प्राप्त किया जा सकता है।

### एच.डी.एफ.सी. बैंक की शाखाएँ

- |  |   |
|--|---|
| 1. सी-स्कीम शाखा<br>ओ-10, ग्रीन हाउस, अशोक मार्ग,<br>सी-स्कीम, जयपुर                                     | 7. मानसरोवर शाखा<br>आईसीजी कैम्पस, गुरुकुल मार्ग,<br>एसएफएस, मानसरोवर, जयपुर      |
| 2. जोहरी बाजार शाखा<br>दुकान नं. 85-86, पाण्ड्या भवन,<br>जौहरी बाजार, जयपुर                              | 8. मालवीय नगर शाखा<br>एसडीसी विनय, 36-37, मोजी कॉलोनी,<br>मालवीय नगर, जयपुर       |
| 3. विद्याधर नगर शाखा<br>जी-20-22, टाईम्स स्कवायर मल्टीपलक्स, 10,<br>सेन्ट्रल स्पाईन, विद्याधर नगर, जयपुर | 9. राजापार्क शाखा<br>3/341 ए, राजापार्क, जयपुर                                    |
| 4. न्यू सांगानेर रोड शाखा<br>आदित्य टॉवर, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर                                       | 10. बनीपार्क शाखा<br>सी-25, उपासना रेजीडेंसी, जयसिंह हाइवे,<br>बनीपार्क, जयपुर    |
| 5. वैशाली नगर शाखा<br>ब्राइटलैण्ड स्कूल, वैशाली नगर, जयपुर   | 11. अजमेर रोड डायमण्ड टावर्स<br>नीलकण्ठ कॉलोनी, पुरानी चूंगी,<br>अजमेर रोड, जयपुर |
| 6. टोंक रोड शाखा<br>ए-1, श्री प्लाजा, लालकोठी, डिस्ट्रिक्ट<br>शॉपिंग सेन्टर, टोंक रोड, जयपुर             |   |

## इलाहबाद बैंक की शाखाएं

1. सुभाष नगर शॉपिंग सेन्टर (नोडल शाखा)  
सुभाष नगर, जयपुर
2. अम्बाबाडी कॉलोनी शाखा  
13-14, शॉपिंग सेन्टर, जयपुर
3. कालवाड रोड शाखा  
हाथोज, जयपुर
4. मानसरोवर शाखा  
90/9, मध्यम मार्ग, मानसरोवर, जयपुर
5. एम.आई. रोड शाखा  
जयपुरिया मैन्शन, जयपुर
6. राजापार्क शाखा  
373 लेन नम्बर 1, राजापार्क जयपुर
7. टोंक रोड शाखा  
361, हिम्मत नगर, गोपालपुरा सर्किल, जयपुर
8. वैशाली नगर शाखा  
एफ 26, गौतम नगर, जयपुर
9. विद्याधर नगर शाखा  
जी 7, श्रीनाथ टावर, सेन्ट्रल स्पाईन,  
विद्याधर नगर, जयपुर

**डाक से आवेदन पुस्तिका प्राप्त करने के लिए** प्रार्थना पत्र के साथ 250/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट, सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम से अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजना होगा इस लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "रोहिणी एनक्लेव आवासीय योजना" भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन पत्र लिखा हुआ होना चाहिए।

### 13. आवेदन फार्म जमा कराने की अन्तिम तिथि : 03.04.2014

पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन फार्म बैंक कार्य दिवसों में प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक शाखा में जमा करवाये जा सकते हैं। डाक/कोरियर द्वारा प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र दिनांक 03.04.2014 को सांय 5 बजे तक संबंधित बैंक में पहुँच जाने चाहिए। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ तालिका के अनुसार **सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, "रोहिणी एनक्लेव आवासीय योजना, जयपुर"** के नाम का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक मय भरे हुये चालान संलग्न होना आवश्यक है। डाक द्वारा आवेदन फार्म निम्नलिखित में से किसी एक बैंक की नोडल शाखा में सीधे ही निर्धारित समयवाधि में भेजे जावें। लिफाफे में बायीं तरफ सबसे ऊपर "रोहिणी एनक्लेव आवासीय योजना" अंकित करें।

### 14. आवेदन फार्म वापस लेने की विधि :

यदि कोई आवेदक पंजीकरण निरस्त कराना चाहता है तो जमा राशि में से 5 प्रतिशत राशि काटकर शेष राशि लॉटरी पश्चात् उसको लौटा दी जावेगी।

### 15. भूखण्ड का लॉटरी से आवंटन :

1. आवेदक द्वारा आवेदन फार्म में प्रस्तुत की गई सूचना जैसे आवेदक के वर्ग के अनुसार आवेदक की सकल मासिक आय, भूखण्ड का क्षेत्रफल एवं पंजीकरण राशि तथा आवेदकों की श्रेणी के अनुसार प्राप्त आवेदन फार्मों से कम्प्यूटर की स्यूडो रेण्डम जनरेशन पद्धति द्वारा लॉटरी समिति द्वारा लॉटरी निकाली जाकर भूखण्ड का आवंटन किया जावेगा जो अन्तिम एवं मान्य होगा। सफल आवेदकों को आवंटित भूखण्ड की सूचना प्राधिकरण की वेबसाइट पर तथा प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।

2. लॉटरी के पश्चात् लॉटरी में सफल आवेदकों के पात्रता की जाँच संबंधित जोन स्तर पर की जावेगी जिसमें गलत तथ्य पाये जाने पर लॉटरी में आवंटित भूखण्ड लॉटरी समिति द्वारा निरस्त कर दिये जायेंगे।
3. आवंटन पत्र के साथ अग्रिम राशि प्राप्त होने मात्र से प्राधिकरण इन योजनाओं में भूखण्ड आवंटन करने के सम्बन्ध में किसी से कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा।
4. लॉटरी के सफल हुए आवेदकों को लॉटरी की तिथि से 30 दिवस के अन्दर अन्दर जोन-14 के कार्यालय में निम्न प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा लॉटरी में आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

1. शपथ पत्र (निर्धारित प्रपत्र में)

2. आय प्रमाण पत्र (स्वयं, पति/पत्नी एवं आश्रित की आय को सम्मिलित करते हुए)

3. आरक्षित भूखण्डों के संबंध में सम्बन्धित प्रमाण पत्र

5. भूखण्डों की लॉटरी का कार्य तीन माह के अन्तर्गत सम्पादित किया जायेगा।

#### 16. असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि की वापसी :

(अ) जमा पंजीकरण राशि की वापसी जहाँ आवेदक ने आवेदन फार्म जमा करवाया है सम्बन्धित नोडल बैंक के द्वारा ही वापिस की जावेगी। अतः असफल आवेदनकर्ता रिफण्ड से सम्बन्धित सूचना के लिए सम्बन्धित नोडल बैंक क्रम संख्या 12 के अनुसार ही सम्पर्क करें।

(ब) योजना की लॉटरी के एक वर्ष की निर्धारित अवधि के बाद राशि वापसी चैकों को न भुनाने से सम्बन्धित आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

(स) जमा पंजीकरण राशि वापसी प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपने बैंक खाता का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा क्योंकि रिफण्ड के चैक पर आवेदनकर्ता द्वारा किए गए बैंक का नाम व उसका स्वयं का बैंक अकाउण्ट नंबर अंकित किया जायेगा। इसलिए आवेदक को ध्यानपूर्वक आवेदन फार्म भरना होगा तथा आवेदनकर्ता का खाता संख्या अंकित नहीं होने की दशा में आवेदन फार्म निरस्त कर दिया जायेगा।

(द) असफल आवेदन फार्मों को लॉटरी दिनांक से एक वर्ष की अवधि तक ही सुरक्षित रखे जावेंगे। तत्पश्चात् उन्हें अनुपयोगी मानते हुए नष्ट कर दिया जायेगा।

#### 17. आवेदन फार्म जमा कराने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं को सुनिश्चित कर लें :-

(i) आवेदन कर्ता द्वारा आवेदन फार्म में पिता/पति का नाम, पता, आय वर्ग एवं श्रेणी स्पष्ट रूप से मोटे अक्षरों में भरा हुआ होना चाहिए।

(ii) आवेदन फार्म में आय वर्ग के अनुसार पंजीकरण राशि का डी.डी./बैंकर्स चैक सचिव, जविप्रा 'रोहिणी एनक्लेव आवासीय योजना जयपुर' के नाम जयपुर में देय जिसमें संलग्न डी.डी./बैंकर्स चैक के पीछे आवेदनकर्ता का नाम व फार्म नं. व श्रेणी अवश्य अंकित कर निर्धारित चालान फार्म भरकर संलग्न करें। डी.डी./बैंकर्स चैक की फोटो प्रति आवेदन फार्म के साथ अवश्य संलग्न करें।

(iii) आवेदनकर्ता का फोटो एवं हस्ताक्षर राजपत्रित अधिकारी/नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करावें।

(iv) आवेदनकर्ता का वर्ग, मासिक आय वर्ग के अनुसार पंजीकरण राशि सही अंकित करें। गलत आय वर्ग चिन्हित करने पर आवेदक को लॉटरी में भूखण्ड निकलने के बावजूद आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

- (v) आवेदनकर्ता सैनिक श्रेणी के आवेदक होने की स्थिति में आवेदन फार्म के बिन्दु सं. 8(6) में उचित बॉक्स पर टिक (✓) करें ताकि सही प्राथमिकता के आधार पर आवंटन हो सके।
- (vi) आवेदन फार्म में निर्धारित कॉलम में आवेदक का बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम एवं शाखा का नाम आवश्यक रूप से अंकित करें, ताकि लॉटरी में असफल रहने पर आवेदक को उसकी पंजीकरण राशि के रिफण्ड में कोई परेशानी न हो।
- (vii) (अ) कृपया चालान की सभी प्रतियों में आपसे संबंधित जानकारी अवश्य भरें।
- (ब) इन सभी प्रमाण पत्रों के प्रारूप इस पुस्तिका में पीछे दिये गए हैं तथा प्रमाणक अधिकारी की श्रेणी व पद भी प्रारूप में दर्शाये गए हैं।
- (स) भविष्य में किये जाने वाले किसी भी पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र का क्रमांक अवश्य अंकित करें। आपके पते में हुए परिवर्तन की सूचना, जिस बैंक में आवेदन फार्म जमा कराया गया है, उसके नोडल बैंक को भिजवाते हुए उसकी एक प्रतिलिपि उपायुक्त जोन-14, जयपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय को भी अवश्य भिजवाये।

**18. आवेदन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है :**

- (1) पंजीकरण राशि के बैंकर्स चैक / डिमाण्ड ड्राफ्ट की मूल एवं छाया प्रति।
- (2) पंजीकरण राशि जमा कराने के चालान की प्रति।

**19. निम्न कारणों / कमियों से भरे हुए आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किए जावेंगे या निरस्त कर दिए जावेंगे जिनके लिए प्राधिकरण तथा बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।**

- (i) आवेदनकर्ता का स्वयं का बैंक खाता संख्या एवं बैंक का नाम, शाखा एवं शहर अंकित नहीं होने की दशा में।
- (ii) आवेदक द्वारा नियम के विरुद्ध एवं गलत तथ्य (आय वर्ग, आरक्षित वर्ग, कम पंजीकरण राशि आदि) भरने पर लॉटरी में भूखण्ड निकालने के बावजूद भी आवंटित भूखण्ड निरस्त कर दिया जावेगा।
- (iii) अवयस्क व्यक्ति द्वारा आवेदन फार्म भरने पर।
- (iv) आवेदन फार्म अपूर्ण अथवा स्पष्ट नहीं भरने पर।
- (v) पंजीकरण राशि चैक के रूप में प्रस्तुत करने की दशा में।
- (vi) संयुक्त नाम से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र।

सचिव,  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
फोन : 0141-2569696

**शपथ पत्र**  
(समस्त आवेदकों के लिए)

मैं .....पुत्र/पत्नि/पुत्री .....

आयु..... निवासी .....

..... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि

- (1) यह कि मेरे या मुझ पर आश्रित के पास राजस्थान के 50,000 से अधिक आबादी वाले किसी कस्बा/शहर में कोई पूर्ण अथवा अपूर्ण, लीज होल्ड अथवा फ्री होल्ड आवासीय भूखण्ड अथवा मकान नहीं है तथा मैं राजस्थान का/की मूल (बोनाफाईड) निवासी हूँ।
- (2) यह कि आवेदन पुस्तिका को मैंने ध्यान, पूर्वक पढ़ लिया है तथा मैं अपने आय वर्ग अनुसार निर्धारित श्रेणी में ही आवेदन कर रहा/रही हूँ, जिस हेतु आवेदन प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेंगे मैं पेश कर दूँगा/कर दूँगी।
- (3) यह कि मैंने सामान्य/आरक्षित श्रेणी ( राजस्थान राज्य कर्मचारी/सैनिक/अनु.जाति/ अनु.जनजाति/विकलांग/अधिस्वीकृत पत्रकार) में आवेदन किया है जिसकी मैं पात्रता रखता/रखती हूँ। इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेगे, मैं प्रस्तुत कर दूँगा/कर दूँगी।
- (4) उक्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में मुझे आवंटित भूखण्ड निरस्त किया जा सकेगा।
- (5) प्राधिकरण की किसी भी आवासीय योजना में विगत 10 वर्षों में कोई भूखण्ड/प्लॉट मेरे (स्वयं पति/पत्नि तथा किसी आश्रित के नाम भूखण्ड/मकान आवंटित नहीं हुआ है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

**घोषणा**

मैं..... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री.....

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त श्री/श्रीमती/सुश्री .....  
पुत्र/पत्नि/पुत्री ..... ने उपरोक्त शपथ मेरे सम्मुख स्वयं उपस्थित  
होकर आज दिनांक ..... को ली है।

हस्ताक्षर मय सील  
प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक  
मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक

(शपथ पत्र 10/- रु. के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए एवं नोटरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी दण्डनायक अथवा कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।)

(आय प्रमाण—पत्र निर्धारित प्रपत्र में ही प्रस्तुत किया जावे।  
वेतन प्रमाण—पत्र एवं अन्य प्रपत्र मान्य नहीं होंगे एवं आवेदन—पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।)

**आय प्रमाण—पत्र**  
(गैर वेतन भोगी/निजी व्यवसाय/निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....  
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ..... जाति ..... निवासी.....  
..... तहसील..... जिला .....  
राज्य ..... की स्वयं पत्नि/पति एवं आश्रित की सकल मासिक आय रु. ....  
प्रतिमाह हैं।

दिनांक : प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक  
स्थान : मजिस्ट्रेट/राजपत्रित अधिकारी/नोटेरी  
पब्लिक के हस्ताक्षर मय मोहर  
(इस प्रमाण—पत्र पर केवल राजस्थान सरकार/भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/नोटेरी  
पब्लिक से हस्ताक्षर कराये जाने हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी का प्रमाण—पत्र मान्य नहीं होगा।)

**आय प्रमाण—पत्र (वेतन भोगी आवेदकों के लिए)**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ..... पुत्र/पुत्री/पत्नि  
श्री ..... इस विभाग में ..... पद पर कार्यरत हैं एवं ये  
केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के उपक्रम की नियमित कर्मचारी हैं। इनकी सकल मासिक  
आय रु0 ..... प्रति माह है।

दिनांक : विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष  
स्थान : के हस्ताक्षर मय मोहर  
विभाग/उपक्रम का नाम

## अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री..... पुत्र/पुत्री/पत्नि  
श्री ..... निवासी.....  
.....जिला ..... सम्भाग.....राज्य ..... जाति के  
सदस्य है जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्थान की अनुसूचित  
जाति/जनजाति में शामिल हैं।

हस्ताक्षर

तहसीलदार

(कार्यालय की मोहर सहित)

## सैनिक/सैनिक पर आश्रित एवं सैनिक की विधवाओं हेतु (आय प्रमाण-पत्र के लिए मान्य नहीं होगा)

प्रमाणित किया जाता है कि .....

(रैंक) ..... (नाम) .....

(नम्बर) .....

- (अ) यह वर्तमान में भारतीय थल/जल/वायु सेना/सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सी.आई.एस.  
एफ. में कार्यरत हैं। इनकी मासिक आय रुपये ..... प्रतिमाह हैं।
- (ब) ये सशस्त्र सेनाओं/सुरक्षा बलों से सेवानिवृत्त हुए हैं तथा सेवानिवृत्ति के समय इनकी मासिक आय रुपये.....  
..... प्रतिमाह थी।
- (स) इनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो गयी थी। इनकी विधवा श्रीमती/सुश्री ..... है। इनके पति की  
मृत्यु के समय मासिक आय रु. .... प्रतिमाह थी। इन्होंने अभी तक पुनर्विवाह नहीं किया है।

कमान्डिंग ऑफिसर/

सक्षम अधिकारी/सचिव,

सैनिक बोर्ड के हस्ताक्षर मय मोहर

स्थान :

दिनांक :

(जो लागू न हों उसे काट दें।)

## शपथ पत्र

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।)  
कोटे हेतु आरक्षित भूखण्डों हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन हेतु।

मैं .....पुत्र / पत्नि / पुत्री .....

आयु..... निवासी .....

..... शपथ पूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि—

- (1) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड हेतु एक मात्र मैं ही आवेदन कर रहा हूँ। परिवार के किसी अन्य सदस्य ने उक्त आरक्षित कोटे से भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है।
- (2) यह कि मेरे पिता / पति / पत्नि सैनिक थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके आधार पर आरक्षित कोटे से मेरे अतिरिक्त परिवार के किसी भी सदस्य ने आरक्षित कोटे में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है तथा न ही मेरे स्व. पिता / पति / पत्नि श्री / श्रीमती / ..... ने एवम् हमारे परिवार के किसी सदस्य ने सैनिक कोटे में आज तक आरक्षित भूखण्डों में से कोई भूखण्ड आवंटित कराया है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

## घोषणा

मैं ..... पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री .....

शपथ पूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त श्री / श्रीमती / सुश्री.....  
पुत्र / पत्नी / पुत्री ..... ने उपरोक्त शपथ मेरे सम्मुख स्वयं उपस्थित होकर आज  
दिनांक ..... को ली है।

हस्ताक्षर मय सील

प्रथम श्रेणी दण्डनायक / कार्यपालक

मजिस्ट्रेट / नोटरी पब्लिक

(शपथ पत्र 10 / - रु. के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए एवं नोटरी पब्लिक / प्रथम श्रेणी दण्डनायक  
अथवा कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।)

(जो लागू न हों उसे काट दें।)

## शपथ पत्र

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।)  
कोटे हेतु आरक्षित भूखण्डों हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन करने पर,  
सैनिक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र।

मैं .....पुत्र/पत्नि/पुत्री .....

आयु..... निवासी .....

..... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि

- (1) यह कि मैं सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्डों के आवंटन की पात्रता रखता हूँ।
- (2) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड आवंटन हेतु मेरे द्वारा कोई आवेदन/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- (3) यह कि उक्त श्रेणी में आरक्षित भूखण्डों हेतु उसके परिवार के सदस्यों के रूप में मेरा/मेरी पत्नी/पुत्र/पुत्री/पति श्री/श्रीमती/कुमारी ..... द्वारा भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन पत्र/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उसे ही मेरी ओर से प्रस्तुत /प्रार्थना पत्र के रूप में स्वीकार किया जावे।
- (4) यह कि मुझे व मेरे परिवार को सैनिक कोटे में आरक्षित श्रेणी में रियायती दर पर आज तक कोई भूखण्ड आवंटित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

## घोषणा

मैं ..... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री .....

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त श्री/श्रीमती/सुश्री .....  
पुत्र/पत्नी/पुत्री ..... ने उपरोक्त शपथ मेरे सम्मुख स्वयं उपस्थित होकर आज  
दिनांक..... को ली है।

हस्ताक्षर मय सील

प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक  
मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक

(शपथ पत्र 10/- रु. के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए एवं नोटरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी दण्डनायक  
अथवा कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।)

(नोट :- जो लागू न हो उसे काट दें।)

## विकलांग प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....  
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ..... निवासी.....  
..... की मेरे द्वारा चिकित्सकीय जांच की गयी तथा ये शारीरिक रूप से अपंग हैं।

स्थान :

प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी

दिनांक :

के हस्ताक्षर मय मोहर

## अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....  
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ..... निवासी.....  
.....तहसील ..... जिला .....  
अधिस्वीकृत पत्रकार है।

स्थान :

निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क/प्राधिकृत

दिनांक :

अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
रोहिणी एनक्लेव आवासीय योजना

(आवेदक द्वारा भरा जायेगा)  
(प्राधिकरण की प्रति)

क्रमांक ..... दिनांक.....

आवेदक का नाम .....

पिता/पति का नाम .....

आवेदक का वर्ग .....

पंजीकरण राशि का  
ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक   
की संख्या का विवरण

दिनांक :

बैंक, शाखा एवं शहर का नाम जिस पर  
ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक बनाया गया है।

बैंक .....

शाखा एवं शहर .....

ड्राफ्ट/बैंकर्सचेक  
पंजीकरण की राशि  Rs.

आवेदक के हस्ताक्षर

नोट:

1. ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/पे-ऑर्डर के पीछे अपना नाम, फार्म नम्बर एवं आवेदित वर्ग अवश्य लिखें।
2. ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक राशि, जयपुर विकास प्राधिकरण 'रोहिणी एनक्लेव आवासीय योजना' के नाम जयपुर में देय होना चाहिए।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
रोहिणी एनक्लेव आवासीय योजना

(आवेदक द्वारा भरा जायेगा)  
(बैंक की प्रति)

क्रमांक ..... दिनांक.....

आवेदक का नाम .....

पिता/पति का नाम .....

आवेदक का वर्ग .....

पंजीकरण राशि का  
ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक   
की संख्या का विवरण

दिनांक :

बैंक, शाखा एवं शहर का नाम जिस पर  
ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक बनाया गया है।

बैंक .....

शाखा एवं शहर .....

ड्राफ्ट/बैंकर्सचेक  
पंजीकरण की राशि  Rs.

आवेदक के हस्ताक्षर

नोट:

1. ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/पे-ऑर्डर के पीछे अपना नाम, फार्म नम्बर एवं आवेदित वर्ग अवश्य लिखें।
2. ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक राशि, जयपुर विकास प्राधिकरण 'रोहिणी एनक्लेव आवासीय योजना' के नाम जयपुर में देय होना चाहिए।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
रोहिणी एनक्लेव आवासीय योजना

(आवेदक द्वारा भरा जायेगा)  
(आवेदक की प्रति)

क्रमांक ..... दिनांक.....

आवेदक का नाम .....

पिता/पति का नाम .....

आवेदक का वर्ग .....

पंजीकरण राशि का  
ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक   
की संख्या का विवरण

दिनांक :

बैंक, शाखा एवं शहर का नाम जिस पर  
ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक बनाया गया है।

बैंक .....

शाखा एवं शहर .....

ड्राफ्ट/बैंकर्सचेक  
पंजीकरण की राशि  Rs.

आवेदक के हस्ताक्षर

नोट:

1. ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/पे-ऑर्डर के पीछे अपना नाम, फार्म नम्बर एवं आवेदित वर्ग अवश्य लिखें।
2. ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक राशि, जयपुर विकास प्राधिकरण 'रोहिणी एनक्लेव आवासीय योजना' के नाम जयपुर में देय होना चाहिए।



## **रोहिणी एनक्लेव आवासीय योजना**

### **महत्वपूर्ण आकर्षण**

- योजना में सभी वर्गों हेतु आवासीय भूखण्ड ।
- यह योजना जविप्रा की आवासीय योजना रोहिणी नगर फेज-III एवं नवसृजित रोहिणी ग्रीन्स फार्म हाउस के पास स्थित है ।
- योजना में 60 फीट एवं 40 फीट चौड़ी मुख्य सड़कों से आवागमन ।
- योजना को हरा-भरा रखने की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के पार्क ।
- योजना में 50 प्रतिशत से अधिक सड़क, पार्क व सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित ।
- योजना में अन्य उचित आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध ।



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 015

फोन : 0141-2569696 • वेब साइट : [www.jaipur.jda.org](http://www.jaipur.jda.org)

नयी सोच, नयी राहें, नयी दिशाएँ